

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण  
अमराराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल  
निवासी गुडालास तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/644  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
17/10/25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम गुडालास स्थित भूमि खसरा न0 154, 154/2 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.6900 हैक्टर किस्म बरानी अव्वल कुल लगान 11.83 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, गुडालास एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, बाली, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बड़जलास श्री दिनेश विष्ट, आर.ए.एस.  
बड़जलास श्री दिनेश विष्ट, आर.ए.एस.  
बनाम

पतिवादी  
राजस्थान सरकार प्राप्ति  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

वादीगण  
अमराराम पुत्र लालाराम जाति मेघनाल  
निवासी गुडालास तहसील बाली बगैरा


किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/644  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई कबल हमारे शमला परोकार सरकार मिनजानिव मुकदमे व ..... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिशा जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम गुडालास स्थित भूमि खसरा नं० 154, 154/2 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1,6900 हैक्टर किरम बाशनी अव्वल कुल लगान 11.83 के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिरसा अनुसार विभाजन के अनुसूच विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत मौके पर किये गये विभाजन की जाती है। पटवारी हल्का, गुडालास एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिग्री पर्चा का भाग माना जाये। इसी कदर डिग्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/11/25 को जारी की गई।



(दिनेश विष्ट)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली



अमराराम  
पुत्र लालाराम

डुंगाराम  
पुत्र लालाराम

कीकाराम  
पुत्र लालाराम

रामलाल  
पुत्र लालाराम

उम्मेदमल  
पुत्र लालाराम

Scale 1:200  
शामलाती  
सूक्ति  
खातादार

खसरा संख्या : 154 क्षेत्रफल : 1.6600 Hectare खाता संख्या : 154 पुराना खाता संख्या : 41  
भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी अचल [ 1.6600, 11.62 ]

- 1.) अमराराम पुत्र लालाराम हिस्सा- 1/7 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
- 2.) अमराराम पुत्र लालाराम हिस्सा- 1/7 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
- 3.) उम्मेदमल पुत्र लालाराम हिस्सा- 1/7 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार हिस्सा-1/7 ( पूर्ण खाता ) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रानी
- 4.) कीकाराम पुत्र लालाराम हिस्सा- 1/7 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
- 5.) डुंगाराम पुत्र लालाराम हिस्सा- 1/7 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार हिस्सा-1/7 ( पूर्ण खाता ) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रानी
- 6.) डुंगाराम पुत्र लालाराम हिस्सा- 1/7 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार हिस्सा-1/7 ( पूर्ण खाता ) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रानी
- 7.) रामलाल पुत्र लालाराम हिस्सा- 1/7 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार हिस्सा-1/7 ( पूर्ण खाता ) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रानी

छानलाल  
निरीक्षक (भू.अ.)  
पटवारी (भू.अ.) तह. बाली

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील  
यारु  
पटवारी (भू.अ.)  
पटवार माण्डल, तहसील-बाली, जिला-पाली ( राज. )

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
  2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

उम्मेदमल  
अमराराम  
कीकाराम

डुंगाराम  
शामलाती